

..... मूलाग्राम ..... वनाग्र ..... श्रमिधारी .....

मा ..... दावा ..... सुफलय नं. 3 ..... सन् २०२०

2221

<p>म हुकम या कार्यवाही भय लघुहस्ताक्षर जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए</p>
---	---

08/10/2020  
 वकील वादीगण/वादी श्री भजनाराम  
 ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण की तलवी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 15/10/2020 को पेश हो।

05-1-2021 ईकजाही पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपर प्रतिवादी श्रमिधारी तहसीलदार खण्डला का जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। तदपश्चात प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं श्रमिधारी तहसीलदार खण्डला से प्रपत्र रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

चूंकि श्रमिधारी तहसीलदार खण्डला ने अपनी रिपोर्ट में वादी द्वारा अनुसोचित ख.नं. के अनुसार नाम डुरुस्ती बाबर अत्रिशंका की गयी है अतः तहसीलदार श्रमिधारी खण्डला की अत्रिशंका के आधार पर वाद, वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि -

आदेश

तन ग्राम टाणी गुमान सिंह तहसील खण्डला जिला सीकर (राज.) अवस्थित रुबि श्रमि ख.नं. 1 तान, 9, 12 ता 16, 22 एवं तन ग्राम बोडाला तहसील

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज



शवडेला जिला सीन अवस्थित मुषि मूफि ख. नं. 328 में शवातेदार का "मूलचन्द पुत्र बाल्या" के स्थान पर वास्तविक व सही नाम "मूलाराम पुत्र मूधराम" डुरुस्त किया जाता है। उम्हाउसार राजस्व रिकार्ड में झमल करानड हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल मुफर होकर नम्बर से फल हो तथा बाद तकरील दाखिल पत्र हो। यह निर्णय आज दिनांक 05-1-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकेश कुमार)  
RAS  
जुज अडिगरी  
शवडेला (सीन)